

01

प्रेस नोट दिनांक 10-09-2020

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस कार्यालय सिद्धार्थनगर के विभिन्न शाखाओं का औचक निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस कार्यालय सिद्धार्थनगर के विभिन्न शाखाओं का औचक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम महोदय द्वारा पुलिस कार्यालय पर स्थापित कोविड-19 हेल्प डेस्क का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। तदोपरान्त महोदय द्वारा प्रधान लिपिक कार्यालय/ रिट सेल /जन-शिकायत प्रकोष्ठ आदि का निरीक्षण कर कार्यालय परिसर की साफ-सफाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं के अभिलेखों/रजिस्ट्रों का भी निरीक्षण गहनता से कर उनके सम्बन्ध में जानकारी ली गयी एवं अपूर्ण अभिलेखों/रजिस्ट्रों को पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर व श्री राजेश कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी बांसी व अन्य पुलिस अधिकारी/ कर्मचारीगण मौजूद रहें।

02

प्रेस नोट दिनांक 10-09-2020

आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर जनशिकायतों के निस्तारण में सम्पूर्ण प्रदेश में माह अगस्त 2020 की मासिक रैंकिंग में जनपद सिद्धार्थनगर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर जनशिकायतों के निस्तारण पर जनपद सिद्धार्थनगर को सम्पूर्ण प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में जनपद के समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिये हैं कि थाने पर उपस्थित पीड़ित/शिकायतकर्ता के साथ अच्छा तालमेल एवं उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर गुण-दोष के आधार पर उभय पक्ष के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करें। गौरतलब है कि जनशिकायतों का निस्तारण आनलाइन किया जाता है। पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का एक निश्चित समय दिया जाता है, जिसे उन संदर्भों को नियत समयावधि के अन्तर्गत निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। पोर्टल पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त संदर्भों की जाँच हेतु जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर प्रकरण का निष्पक्ष एवं गुणवत्तापरक जाँच कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया जाता है, उल्लेखनीय है कि आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का गुणवत्तापरक निस्तारण में माह-अगस्त की मासिक रैंकिंग में जनपद सिद्धार्थनगर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक (नोडल / पर्यवेक्षण अधिकारी) द्वारा बताया गया कि जनपद में आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर शासन एवं पुलिस अधिकारियों के स्तर से प्राप्त समस्त संदर्भों का गहराई एवं निष्पक्ष जाँच हेतु निरन्तर देखा जाता है। पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों की जाँच आख्या प्राप्त होने पर जाँच आख्याओं का गहनता से परीक्षण किया जाता है। जाँच पुष्टि कारक न होने पर उक्त संदर्भ को पुनः जाँच के लिए सम्बन्धित अधिकारी को कड़े निर्देश के साथ वापस कर दी जाती है। आई0जी0आर0एस0 प्रभारी एवं कर्मचारीगण को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।

आई0जी0आर0एस0 शाखा में नियुक्त कर्मचारीगण का विवरण-

- 01-** उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह (प्रभारी आई0जी0आर0एस0 शाखा)
- 02-** का0 प्रिंस कुमार सिंह (आई0जी0आर0एस0 शाखा)
- 03-** का0 नागेन्द्र सिंह (आई0जी0आर0एस0 शाखा)

03

प्रेस नोट दिनांक 10-09-2020

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में, श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के निर्देशन तथा श्री महेन्द्र चौहान, थानाध्यक्ष, थाना पथरा बाजार के नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2020 को जमीनी विवाद की बात को लेकर कहासुनी व गुल्थम गुल्था करने वाले व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 151/107/116 सीआरपीसी के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया

04

प्रेस नोट दिनांक 10-09-2020

श्री विजय दुल पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी, सदर के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा कृत कार्यवाही -

थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 258/20 धारा- 419 /420 / 465 /468/471 भा.द.वि. व 42/45(12) कारागार अधिनियम से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. रामसुरेश यादव पुत्र रामचन्द्र 2. घनश्याम यादव पुत्र अनिल यादव निवासीगण मस्जिदिया थाना बाँसी जनपद सिद्धार्थनगर को आज दिनांक 10.09.2020 को ग्राम डिडई स्थित सुरेश मोबाइल शाप के दुकान के दुकान से नाम, पता, तस्दीक करने के उपरान्त नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम, पता-

1. रामसुरेश यादव पुत्र रामचन्द्र, निवासी मस्जिदिया थाना बाँसी जनपद सिद्धार्थनगर।
2. घनश्याम यादव पुत्र अनिल यादव, निवासी मस्जिदिया थाना बाँसी जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1- श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2-उ0नि0 श्री राकेश त्रिपाठी थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3- उ0नि0 श्री जयप्रकाश दूबे थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4- म0का0 रूबी दूबे थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 5- म0का0 पूजा यादव थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

05

प्रेस नोट दिनांक 10-09-2020

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्रिटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री विजय दुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-10-09-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 173 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 96 वाहनों का चालान कर ₹71,400/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

06

प्रेस नोट दिनांक 10-09-2020

04 बोरी नेपाली मटर मय एक अदद सायकिल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार।

श्री विजय दुल पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व पुलिस उपाधीक्षक, शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक डेबरुआ के नेतृत्व मे आज दिनांक 10.09.2020 को चौकी बढनी थाना डेबरुआ पुलिस द्वारा एक व्यक्ति द्वारा सायकिल से चार बोरी (लगभग 100 किग्रा) नेपाली मटर अवैध रूप बार्डर पार कर लाते गिरफ्तार कर कष्टम अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 01- बसन्त अग्रहरि पुत्र मुन्नु अग्रहरि निवासी धनौरा बुजुर्ग, थाना डेबरुआ जनपद-सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरण-

- 01- 01 कुन्तल अवैध नेपाली मटर मय एक अदद सायकिल कुल कीमत रुपया -10000/-।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

- 01- उ0नि0 महेश सिंह, प्रभारी चौकी बढनी थाना डेबरुआ जनपद-सिद्धार्थनगर।
- 02- आरक्षी अभय नंदन चौकी बढनी थाना डेबरुआ जनपद-सिद्धार्थनगर।

ग्राम प्रधान छगड़ियहवा एवं उनके साथी कयूम से विवाद करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

श्री विजय दुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा चलाए जा रहे अभियान, अपराध की रोकथाम व थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर व श्री उमेश शर्मा क्षेत्राधिकारी, डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में, श्री रणधीर कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक त्रिलोकपुर के नेतृत्व में विगत रात्रि ग्राम छगड़ियहवा में पुरानी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान छगड़ियहवा घनश्याम व उनके साथी कयूम के सर पर स्टंप व लाठी-डंडे से हमला कर दिए थे। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 171/2020 धारा 188/269/270/323/504/506 भादवि0 व 03 महामारी अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा चोटहिल ग्राम प्रधान राधेश्याम व उनके साथी कयूम को डॉक्टरी हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भनवापुर भेजा गया। आज दिनांक 10.09.2020 को थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना से संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

1. इसरार अहमद पुत्र अली अहमद निवासी गण छगड़ियहवा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
2. सब्बू पुत्र अनवर अली निवासी गण छगड़ियहवा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
3. कमाल अहमद पुत्र बाबुल्ला निवासी गण छगड़ियहवा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उपनिरीक्षक रमाकांत सरोज थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
2. मुख्य आरक्षी सतीश तिवारी थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
3. आरक्षी प्रेमचंद्र थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

